न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 147 / 2020
जीसीएमएस : 2020 / 00293

1. मैत्री तिवाड़ी पुत्री श्री गजानन्द तिवाड़ी जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड नं. 23 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–: वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व)रायसिंहनगर

–:प्रतिवादी

उपस्थिति :–

1. श्री अजय पारीक , वकील प्रार्थी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम</u>

–: **निर्णय** :– दिनांक : 21.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीया मैत्री तिवाड़ी पुत्री श्री गजानन्द तिवाड़ी जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड नं. 23 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से चक 28 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2070–2073 खतौनी संख्या 4 / 2 नया 5 मु.नं. 42 पं.नं. 235 / 293 के कि.नं. 16 ता 20 प्रत्येक 0.253 है. कुल तादादी 1.265 है. बारानी खातेदारी भूमि है। उपरोक्त भूमि वादीया को अपने दादा श्री मनोहरलाल पुत्र श्री रामचन्द्र द्वारा निष्पादित वसीयतनामां दिनांक 13.10.2023 के द्वारा मुझ वादीया के दादा श्री मनोहरलाल के देहान्त के पश्चात बतौर वसीयत में प्राप्त हुई है तथा वादीया के नाम से राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुई तब वादीया का नाम वसीयत की रूह से किए जाने वाले इन्तकाल में वादीया का नाम उक्त वसीयत में वादीया के दादा स्वर्गीय श्री मनोहरलाल जी द्वारा सहबन से मेरा घरेलू नाम अरनिका दर्ज करवा दिए जाने के कारण उक्त इन्तकाल में मेरा नाम अननिका लिख दिया गया है। जबकि वादीया का सही नाम मैत्री तिवाड़ी है तथा यही नाम मेरे तमाम दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, व राशन कार्ड तथा विद्यालय रिकार्ड इत्यादि में है इसलिए वादीया राजस्व अभिलेखों में सहबन से वादीया के दादा द्वारा वसीयत में मेरा घरेलू नाम अरनिका लिखाने के कारण मेरा नाम अरनिका की जगह मैत्री तिवाड़ी पुत्री श्री गजानन्द तिवाड़ी संशोधन करवाकर दर्ज करवाना चाहती है तथा इस भूमि का इसी नाम से बाद दुरूस्ती खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है चित्र प्रतिलिपि पहचान पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय कार्ड प्रमाण पत्र अंकतालिका इत्यादि संलग्न वाद पत्र है।

2. जब वादीया ने अपनी जमाबंदी का अवलोकन किया तो मालूम हुआ कि राजस्व अभिलेखों में उसका नाम मैत्री तिवाड़ी की जगह अरनिका लिख दिया गया है जिस पर वादीया उक्त मेरे नाम की जमाबंदी में दर्ज नाम अरनिका की जगह सही नाम मैत्री तिवाड़ी जमाबंदी में अंकित किए जाने हेतु प्रतिवादी के पास जाकर दिनांक 12.11.2020 को निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय से आदेश लाकर देने का कहा जिस पर यह वाद पत्र माननीय [illegible] बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत है तथा बिनाय दावा वादीया [illegible] के रिकार्ड में सही नाम मैत्री तिवाड़ी पुत्री श्री गजानन्द तिवाड़ी के नाम से [illegible] खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम अरनिका की जगह मैत्री तिवाड़ी पुत्री श्री गजानन्द तिवाड़ी के नाम से राजस्व अभिलेखों में अमल [illegible] विधिक अधिकारी है तथा इसी नाम से यानि मैत्री तिवाड़ी पुत्री गजानन्द तिवाड़ी के नाम से भूमि की खातेदार घोषित करवाने की विधिक अधिकारी [illegible] यह कि वादीया का वास्तविक नाम मैत्री तिवाड़ी ही है तथा इसी नाम से वादीया के तमाम कागजात परिचय पत्र तथा आधार कार्ड विद्यालय रिकार्ड अंकतालिका इत्यादि बने हुए है लेकिन

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 11:54:53 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

जमाबंदी मे वसीयत की रूह से इन्तकाल दर्ज करते समय वादीया के दादा स्वर्गीय श्री मनोहरलाल द्वारा वादीया का वसीयत में सहबन से घरेलू नाम अरनिका दर्ज करवा दिए जाने के कारण वसीयत के द्वारा किए गए इन्तकाल मे वादीया का नाम सहबन से मैत्री तिवाडी जगह अननिका दर्ज कर दिया गया है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीया का जमाबंदी मे जहां नाम अरनिका लिखा हुआ है को दुरूस्त करवाकर मैत्री तिवाडी पुत्री श्री गजानन्द तिवाडी अंकित किए जाने में किसी कानूनी बाधा नहीं है अगर राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम अरनिका की जगह मैत्री तिवाडी दुरूस्त नहीं किया जाता है तो इससे वादीया को अपने राजस्व रिकार्ड में नाम मे भिन्नता होने के कारण अनेक परेशानियों का सामना करना पडेगा तथा हर बार राजस्व रिकार्ड संबंध कार्यवाही मे कठिनाई का सामना करना पडेगा तथा काफी उलझने पैदा होगी।

3. यह कि प्रतिवादी लैण्ड हौल्डर है जिनके द्वारा ही राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरूस्ती की जानी है इसलिए उनको वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है वाद वादीया अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है जो वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा अंदर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है अतः वाद पत्र वादीया प्रस्तुत कर निवेदन है नाम से चक 28 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2070–2073 खतौनी संख्या 4/2 नया 5 मु.नं. 42 पं.नं. 235/293 के कि.नं. 16 ता 20 प्रत्येक 0.253 है. कुल तादादी 1.265 है. बारानी खातेदारी भूमि में वादीया का नाम अरनिका लिखा हुआ है को दुरूस्त किया जाकर मैत्री तिवाड़ी पुत्री श्री गजानन्द तिवाड़ी अंकित किया जावे। अगर किसी कारणवंश इस नाम की दुरूस्ती की जानी संभव ना हो तो राजस्व रिकार्ड में जहां वादीया का नाम अरनिका लिखा हुआ है के आगे अरनिका उर्फ मैत्री तिवाड़ी अंकित किए जाने का आदेश पारित किया जावे अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर को जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

4. तहसीलदार रायसिंहनगर से रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2022/2893 दिनांक 06.12.2022 के द्वारा पटवारी हल्का मुताबिक रिपोर्ट चक 28 पी.एस. के मु.नं. 42 पं.नं. 235/293 के कि.नं. 16 ता 20 प्रत्येक 0.253 है. कुल तादादी 1.265 है. बारानी खातेदारी भूमि में वादीया का नाम अरनिका पुत्री गजानन्द जाति ब्राह्मण साकिन रायसिंहनगर के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा जरियें नामान्तरण 138 दिनांक 28.06.2008 द्वारा वसीयत से प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है जो वसीयत उपपंजीयक रायसिंहनगर से दिनांक 13.10.2003 को पंजीबद्व है। रिकार्ड में वसीयत के अनुसार दर्ज हुआ है। राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रूटि नहीं हुई है। उक्त रिर्पोट प्राप्त होने पर वकील प्रार्थीया को सुना गया। तहसील की रिर्पोट में कोई विरोध प्रकट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर के अरनिका के स्थान पर मैत्री तिवाड़ी उर्फ अरनिका की दुरूस्ती की जानी उचित है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ–पत्र एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की रिर्पोट दिनांक 06.12.2022 के अनुसार वाके **चक 28 पी.एस. के मु.नं. 42 पं.नं. 235/293 के कि.नं. 16 ता 20 प्रत्येक 0.253 है. कुल तादादी 1.265 है. बारानी खातेदारी भूमि में वादीया का नाम अरनिका के स्थान पर मैत्री तिवाड़ी उर्फ अरनिका की दुरूस्ती की जाती है।** इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 11:54:53 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

रायसिंहनगर